ग्राम पंचायत - किलपारा की आम बैठक

आज दिनांक 22/01/2015 को ग्राम पंचायत किलपारा के ग्रामवासियों की एक आम बैठक आयोजित की गई, बैठक में बदियाकोट से कुंवारी हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जो कि किलपारा ग्राम पंचायत में असमधार अंजा से होते हुए जा रही है, प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में किसी ग्रामवासी को कोई आपत्ति या विवाद नहीं है।

बैठक में समरेखण के बारे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कनिष्ठ अभियन्ता ई० दिनेश कुमार नौटियाल और मैगोट कन्सल्टेन्सी प्रा०लि० के श्री सन्दीप रावत द्वारा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी प्रदान की।

उक्त समरेखण में सभी ग्रामवासी सर्वसहमति से सहमत हैं।

प्रधान
ग्राम पंचायत किलपारा
वि.ख.-कपकोट जनपद-बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)

सरपंच प्रेम सिंह
वन पंचायत किलपारा
तहसील- कपकोट
जिला- बागेश्वर

Scanned by CamScanner

2.24.1

वन् पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0......)

जनपद बागेश्वर में रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक लम्बाई 23.400 कि.मी. के निर्माण के समबन्ध में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत ..1.968है.. की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत ..किलपारा..... की दिनांक 22/01/15 को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को ग्रामीण निर्माण विभाग को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोंध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति ग्रामीण निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया हैं।

स्थानः– ग्राम किलपारा

दिनांकः:– 22/1/15

सरपंच प्रेमसिंह
वन पंचायत किलपारा
तहसील– कपकोट
जिला– बागेश्वर

ह0 सरपंच
की मुहर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, ग्रामीण निर्माण विभाग, कपकोट को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित् की जाती है।

सरपंच प्रेमसिंह
वन पंचायत किलपारा
तहसील– कपकोट
जिला– बागेश्वर

ह0 सरपंच
की मुहर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर –

1 कमला देवी
2 पारुली देवी
3 धनुली देवी
4 [illegible]
5 अजनासिंह
6 देवसिंह
7 दीपा देवी
8 किसनसिंह
9 प्रेमसिंह

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नाम:– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 22/1/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत किलपारा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री भीमसिंह बसेड़ा पुत्र बहादुर सिंह	Bhim Singh
2.	श्री पुष्कर सिंह दानू पुत्र स्वरुप सिंह	पुष्कर सिंह दानू
3.	श्री मदन सिंह बसेड़ा पुत्र पान सिंह	मदनसिंह बसेड़ा
4.	श्री हीरासिंह बसेड़ा पुत्र केदार सिंह	[illegible]
5.	श्री त्रिलोक सिंह दानू पुत्र चन्द्र सिंह	त्रिलोक सिंह
6.	श्री आलम राम आर्या पुत्र आरम राम	[illegible] Ram
7.	श्री भवान राम आर्या पुत्र पन्नी राम	भवान राम
8.	श्रीमती कमला देवी पत्नी दीवानसिंह	कमला देवी
9.	श्री जवाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह	जवाहरसिंह
10.	श्री कंचनसिंह पुत्र जयसिंह	कंचनसिंह
11.	श्री तारा सिंह पुत्र शेरसिंह	तारासिंह
12.	श्री भजनसिंह पुत्र रामसिंह	भजनसिंह
13.	श्री खिलाप सिंह पुत्र जौहारसिंह	खिलापसिंह दानू
14.	श्रीमती मोहनी देवी पत्नी हरिश्चन्द्र सिंह	मोहनी देवी
15.	श्रीमती पानमती देवी पत्नी खिलापसिंह	पानमतिदेवी
16.	श्रीमती कमला देवी पत्नी भूपालराम	कमला देवी
17.	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी प्रतापराम	मुन्नी देवी
18.	श्रीमती यशोदा देवी पत्नी धामसिंह	यशोदादेवी
19.	श्रीमती कमला देवी पत्नी कंचनसिंह	कमलादेवी
20.	श्री नन्दन राम पुत्र हयातराम	नन्दन राम

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 10·09·16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुंवारी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	तिलोकसिंह	तिलोक सिंह
(2)	प्रतापसिंह	प्रताप सिंह
(3)	बलवन्तसिंह	बलवन्त सिंह
(4)	देवकी देवी	देवकी देवी
(5)	मनीचन्द्रसिंह	मनीचन्द्र सिंह
(6)	दलीपसिंह	दलीपसिंह
(7)	रमेशसिंह	बिजेराम
(8)	बिजेराम	पोखरसिंह
(9)	पोखरसिंह	मोहनराम
(10)	मोहनराम	धनुली देवी
(11)	धनुली देवी	तारा राम
12	ताराराम	आलम राम
13	आलमराम	पार्वती देवी
14	पार्वती देवी	केशरसिंह
15	केशरसिंह	रूप राम
16	रूपराम	प्रेम सिंह
17	प्रेमसिंह	खुशाल राम
18	खुशालराम	मदन राम
19	मदनराम	रघुवर राम
20	रघुवरराम	

प्रधान
ग्राम पंचायत कुंवारी
वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

Scanned by CamScanner

2.24

प्रपत्र–28

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक वास्तविक लम्बाई 23.50 कि.मी. के निर्माण के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को ग्रामीण निर्माण विभाग को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया हे आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricaltural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थानः– कुँवारी

दिनांकः:– 10/9/2016

ह0

प्रधान ग्राम प्रधान/सरपंच

ग्राम पंचायत कुँवारी की मुहर

वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत कुँवारी
तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर

नोट– परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

2.24.1

वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0...4.)

जनपद बागेश्वर में रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक लम्बाई 23.50 कि.मी. के निर्माण के समबन्ध में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत ..कुँवारी...... की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत ...कुँवारी....... की दिनांक 10/9/2016को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को ग्रामीण निर्माण विभाग को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति ग्रामीण निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया हैं।

स्थानः– ग्राम कुँवारी

दिनांकः– 10/9/2016

ह0 सरपंच [signature]
की मुहर
वन पंचायत कुँवारी
तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, ग्रामीण निर्माण विभाग, कपकोट को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित् की जाती है।

ह0 सरपंच [signature]
की मुहर
सरपंच
वन पंचायत कुँवारी
तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर –

1 कमला देवी
2 रूप राम
3 ईश्वरराम
4 प्रभाकर दानू
5
6 लीला देवी
7 माधुली देवी
8 हिमन्ती देवी
9

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः–, जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....कुँवारी

तहसील कपकोट जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 2.356 है0 सिविल सोयम भूमि, 16.728 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 19.084 है0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....कुँवारी.... द्वारा दिनांक 10/5/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम, ...कुँवारी.................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/	ह0/
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्र कुँवारी, वि.ख. कपकोट, बागेश्वर	प्रधान, ग्राम पंचायत कुँवारी, वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कपकोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 2.356 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 16.728 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 19.084 है0 वन भूमि) ग्रामीण निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कपकोट की दिनांक 17/11/2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति कपकोट की बैठक श्री के0एस0 टोलिया, उप जलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कपकोट की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री ~~के0एस0 टोलिया~~ रविन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री के0एस0रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती आरती देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र, किलपारा	सदस्य

उप जिलाधिकारी कपकोट

सदस्य क्षेत्र पंचायत किलपारा वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 19.084 है0 भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक निर्माण हेतु 1.085 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कपकोट
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कपकोट
जनपद बागेश्वर

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 19/12/2016 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के प्रमाण पत्र दिनांक 17/11/2016 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक 23.40 किमी0 मोटर मार्ग के लिए 19.084 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट् द्वारा रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी मोटर मार्ग के लिए 19.084 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी मोटर मार्ग के लिए 19.084 है0 भूमि को ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर
जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 19.084 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कपकोट् तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 19/12/2016

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---Memo--- Dated---19/12/2016

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 19.084 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Rikhari-Wachham M/Road Km 40 to Kuwari** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Kilpara & Kuwari** village in **Kapkot** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 19.084 **hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 19/12/2016

(Mangesh Ghildiyal,)

District Collector जिलाधिकारी

Seal बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक ......22/01/2025......को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत *किलपारा*

1.	हीरा सिंह - केहर सिंह	[illegible]
2.	प्रेम सिंह - उमेद सिंह	प्रेम सिंह
3.	नैन सिंह - बहादुर सिंह	[illegible]
4.	मदन सिंह - पान सिंह	[illegible]
5.	भजन सिंह - प्रताप सिंह	भजन सिंह
6.	दिवान राम - पनी राम	दिवान राम
7.	रूप राम - धन राम	रूप राम
8.	नारायण राम - धन राम	[illegible]
9.	दयाराम - किशन राम	दयाराम
10.	जय सिंह - जवाहर सिंह	जय सिंह
11.	कमला देवी - दिवान सिंह	कमला देवी
12.	बहादुर सिंह - प्रताप सिंह	बहादुर सिंह
13.	किशन सिंह - केसर सिंह	[illegible]
14.	भूपाल राम - बालू राम	भूपाल राम
16.	दयाराम - जवाहर राम	[illegible]
17.	[illegible] - पदम राम	[illegible]
18.	त्रिलोक सिंह - चन्दन सिंह	त्रिलोक सिंह
19.	महेन्द्र सिंह - पान सिंह	महेन्द्र
20.	कमला देवी - [illegible]	कमला देवी

ह0/ [signature]
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत किलपारा
वि.ख.–कपकोट जनपद–बागेश्वर
(उत्तराखण्ड)

Scanned by CamScanner

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20-1-15 को ग्राम पंचायत बदियाकोट मे वन पंचायत समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग रिखाड़ी बाछम के किमी0 40 से कुवारी तक के सम्बन्ध में चर्चा की गई। वन पंचायत समिति द्वारा सर्वसम्मति मे निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वन पंचायत से गुजरने वाली भूमि को देने में वन पंचायत समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

यशोदा देवी
सरपंच
वन पंचायत बदियाकोट
तहसील-कपकोट जिला-बागेश्वर

सरपंच
वन पंचायत

प्रधान
ग्राम पंचायत बदियाकोट
वि0ख0—कपकोट जि0—बागेश्वर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–28

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के बीच जो मोटर मार्ग का समरेखण हुआ है। वह कार्य काफी सराहनीय है। मोटर मार्ग के सन्दर्भ में मेरे समस्त ग्रामवासियों को भी आपत्ति नहीं है और मेरे सभी ग्रामवासी मोटर मार्ग निर्माण में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेगें। मेरे सभी ग्रामवासी व तोक के सभी नागरिक काफी उत्साहित है।

यशोदा देवी
सरपंच

ग्राम प्रधान–
प्रधान
ग्राम पंचायत
वि0ख0
ग्राम–
विकासखण्ड–
जिला–

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रा०नि०वि० पी०आई०यू०–2 पी०एम०जी०एस०वाई० कपकोट जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

विषय – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि आज दिनांक 20-1-15 को ग्राम सभा की एक बैठक की गई एवं स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में समरेखण किया गया। जिसमें की हम सभी ग्राम वासियों को आपत्ति नहीं है। हमारे सभी ग्राम वासियों की नाप भूमि एवं अन्य वन सपंदा की क्षति हेतु कोई विरोध नहीं होगा।

अतः महोदय से निवेदन करना है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण तुरन्त प्रारम्भ करने की कृपा किजिएगा।

क0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1	सरोज सिंह उपप्रधान	सरोज सिंह
2	सरस्वती देवी वार्ड सदस्य	सरस्वती देवी
3	शान्ती देवी वार्ड सदस्य	शान्ति देवी
4	राजेन्द्र सिंह वार्ड सदस्य	[illegible]
5	तारा देवी वार्ड सदस्य	तारा देवी
6	दिवानराम वार्ड सदस्य	दीवान राम
7	राधिका देवी वार्ड सदस्य	राधिका देवी
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

यशोदा देवी
सरपंच
वन पंचायत बदियाकोट कालों
तहसील-कपकोट, जिला बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत बदियाकोट
ग्राम प्रधान
वि०ख०–कपकोट जि० बागेश्वर
हस्ताक्षर एवं मुहर

Scanned by CamScanner